इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 374] भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 अगस्त 2014—भाद्र 1, शक 1936

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्र. एफ-2-1-14-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 43 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है, कि "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना का प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में, नियम 88 में, उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम, अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) द्वारा निर्वाचन संचालित होने के पश्चात् डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल (डी.एम.एम.) तथा निर्वाचन से संबंधित समस्त आवश्यक सामग्री ऐसी कालावधि तक रखी जाएगी जैसा कि आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्देश दें".

NOTICE

No. F-2-1-14-XXII-P-2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam, 1995 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section

(1) of Section 95 read with Section 43 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) is hereby published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of 15th days from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received by the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Panchayat and Rural Development Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal from any person with respect to the said draft of amendment before the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 88, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(3) After conduct of election by Electronic Voting Machine (E.V.M.), the Detachable Memory Module (DMM) and all necessary material relating to election shall be retained for such period, as the commission may, by general or special order, direct".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बृजेश कुमार, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.